न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 37/2021 **दायर दिनांकः 25/08/2021**

उनवान

1. घीसी बाई आयु 48 वर्ष पत्नी श्यामलाल जाति मेघवाल निवासी अन्ता हाल मूंडला बिसोती तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट.</u>

उपस्थित :—
प्रार्थीया :—विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह
अप्रार्थीः— पेरोकार सरकार

आदेश **दिनाकः 16/02/2023**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीया उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल मूंडला बिसोती तहसील अटरू में खाता संख्या 24 कुल किता 2 का रकबा 1.32 है0 खाता संख्या 25 का 2 किता रकबा 0.75 है0, खाता संख्या 49 कुल किता 5 का रकबा 1.60 है0 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है नकल जमाबंदी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया घीसीबाई की जाति मेघवाल होते हुए भी पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से खाता संख्या 24 में जाति बलाई, खाता संख्या 49 में जाति चमार कर दी। जिससे प्रार्थिया को ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि सुविधाओं का उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रही है। जिसे प्रार्थिया दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है। प्रार्थिया ने दिनांक 16.08.2021 को

श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकॉर्ड में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थिया के जाति प्रमाण पत्र व अन्य पंजीकृत दस्तावेज में प्रार्थिया की जाति मेघवाल ही दर्ज है। प्रार्थिया इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमियों में हो रही त्रुटियों को दुरूस्त करवाने की अधिकारिणी है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम मूण्डला बिसोती तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थिया की जाति मेघवाल बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। तहसीलदार अटरू से जाति संबंधी रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र कमांक 2486 दिनांक 07.10. 2022 से रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम मूण्डला बिसौती की जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 25 किता 2 रकबा 0.75 है0 भूमि घीसीबाई पुत्री भूली हिस्सा 1/5 जाति मेघवाल दर्ज है तथा जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 24 किता 2 कुल रकबा 1.32 है0 भूमि घीसीबाई पुत्री भूली हिस्सा 1/5 जाति बलाई दर्ज है एवं जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 49 किता 5 रकबा 1.60 है0 भूमि घीसीबाई पुत्री भूमि हि0 1/5 जाति चमार दर्ज है। उक्त संबंध में मौके पर जांच करने पर प्रार्थीया की जाति मेघवाल होना ग्रामवासियान द्वारा बताया गया तथा खाता संख्या 25 में प्रार्थीया की जाति मेघवाल ही दर्ज है अत खाता संख्या 49 एवं खाता संख्या 24 में प्रार्थीया की जाति नियमानुसार मेघवाल दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

3. वादी ने अपने सबूत में pw 1 घीसीबाई पत्नी श्यामलाल जाति मेघवाल निवासी अन्ता हाल मूण्डलाबिसोती का बयान कलमबद्ध कराया तथा दस्तावेज–प्रार्थिया का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.08.2011, ग्राम रामनिवास की जमाबंदी संवत 2072–75, ग्राम मूण्डला बिसोती की जमाबंदी संवत 2071–74, एवं 2072–75, राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुसूचित जाति की सूची पेश किये।

4. साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 घीसीबाई पत्नी श्यामलाल जाति मेघवाल निवासी अन्ता हाल मूण्डलाबिसोती का शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें सशपथ बयान किये कि मेरे शामलाी कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल रामनिवास तहसील अटरू में खाता संख्या 24 कुल किता 2 का रकबा 1.32 है0, खाता संख्या 25 का 2 किता रकबा 0.75 है0 व ग्राम मूण्डला बिसोती में खाता संख्या 49 कुल किता 5 का रकबा 1.60 है0 भूमि स्थित दर्ज चली आ रही है जिसमें मेरी जाति मेघवाल होते हुए पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 24 में जाति बलाई, व ग्राम मूण्डलाबिसोती में खाता संख्या 49 में जाति चमार कर दी है। जबकि मेरे जाति प्रमाण पत्र व अन्य पंजीकृत दस्तावेज में मेरी जाति मेघवाल ही दर्ज है जिस वजह से मुझे ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि सुविधाओं का उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रही है। इसलिए ग्राम रामनिवास तहसील अटरू में खाता संख्या 24 कुल किता 2 का रकबा 1.32 है0 में जाति बलाई के स्थान पर जाति मेघवाल व ग्राम मूण्डला बिसौती में खाता संख्या 49 कुल किता 5 का रकबा 1.60 है0 में जाति चमार के स्थान पर जाति मेघवाल को दुरूस्त करते हुए उसका अंकन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम एवं माल रामनिवास की खाता संख्या 24 कुल किता 2 कुल रकबा 1.32 है0 एवं ग्राम मूण्डलाबिसोती तहसील अटरू की विवादित आराजी खाता संख्या 49 कुल किता 5 कुल रकबा 1.60 है0 में नामान्तरण दर्ज करते समय पटवारी ने सहवन से प्रार्थिया की जाति क्रमशः बलाई एवं चमार दर्ज कर दी। जबकि प्रार्थिया की जाति मेघवाल है। अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा पुनः कथन किया गया कि बलाई व चमार दोनों राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है।

अर्थात मेघवाल के साथ साथ बलाई व चमार भी अनुसूचित जाति में आते है। बारां जिले के ग्रामिण क्षेत्रों में मेघवाल जाति को बोलचाल की भाषा में बलाई भी कहते है इसलिए इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी द्वारा मेघवाल की जगह बलाई दर्ज कर दिया। अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा पुनः कथन किया कि चमार शब्द अपमानजनक होने से राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर चमार की जगह अनुसूचित जाति के सम्मानजनक शब्द यथा बैरवा, जाटव, मेघवाल आदि दर्ज करने के आदेश दिये हुए है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक /राजस्व/2022/2486 दिनांक 07.10.2022 में ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 24 एवं ग्राम मूण्डला बिसोती के खाता संख्या 49 में प्रार्थिया की जाति मेघवाल किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है।

6. अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल रामनिवास की प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2072—2075 के खाता संख्या 24 किता 2 रकबा 1.32 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम शामलाती खाते में घीसीबाई पुत्री भूली हिस्सा 1/5 जाति बलाई दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम मूण्डलाबिसोती की के खाता संख्या 49 किता 5 रकबा 1. 60 है0 आराजी में प्रार्थिया का नाम सहखातेदार के रूप में घीसीबाई पुत्री भूलीबाई हिस्सा 1/5 जाति चमार दर्ज है जबकि ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 25 में प्रार्थीया का नाम घीसीबाई पुत्री भूली हिस्सा 1/5 जाति मेघवाल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया द्वारा पेश तहसीलदार अन्ता द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 2547 दिनांक 01.08.2011 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया का नाम घीसीबाई पत्नी श्यामलाल जाति मेघवाल (एस0सी0) अंकित है। तहसीलदार अटरू की जाति संबंधि रिपोर्ट दिनांक 07.10.2022 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया की जाति मेघवाल है और ग्राम रामनिवास के खाता संख्या 24 एवं ग्राम मूण्डलाबिसोती के खाता संख्या 49 में जाति संशोधित कर मेघवाल किये जाने में प्रतिवादी तहसीलदार को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थिया द्वारा पेश राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुसूचित जाति की सूची में बलाई जाति क्रम संख्या 7 पर, चमार जाति क्रम संख्या 17 पर एवं मेघवाल क्रम संख्या 46 पर अंकित है। अतः यह साबित है कि जाति बलाई, चमार व मेघवाल तीनों अनुसूचित जाति की सूची में आती है।

7. उपरोक्त विवेचन, समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति की सूची, राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप 6) के परिपत्र क्रमांक प.3 (2)राज–6/2021 दिनांक 14.12.2022 एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन, समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति की सूची, राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप 6) के परिपत्र क्रमांक प.3 (2)राज–6/2021 दिनांक 14.12.2022 एवं तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट आदि साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल रामनिवास की खाता संख्या 24 ख0न0 386 की 0.32 है0, ख0नं0 387 की 1.00 है0 किता 2 रकबा 1.32 है0 आराजी में सहखातेदार घीसीबाई पुत्री भूली जाति बलाई के स्थान पर घीसीबाई पुत्री भूली जाति **मेघवाल** तथा ग्राम मूण्डलाबिसोती के खाता संख्या 49 ख0नं0 11 की 0.58 है0, ख0नं0 12 की 0.92 है0, ख0नं0 383/897 की 0.05 है0, ख0नं0 384/895 की 0.01 है0, ख0नं0 529 की 0.04 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.60 है0 आराजी में सहखातेदार घीसीबाई पुत्री भूलीबाई जाति चमार के स्थान पर घीसीबाई पुत्री भूलीबाई जाति **मेघवाल** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां